संख्या - BSDM/KYP Admission-212/2024-3539 पटना, दिनांक – 13/11/2024

बिहार सरकार

बिहार कौशल विकास मिशन

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कुशल युवा कार्यक्रम केन्द्र संचालक,
बिहार ।

विषय :- तकनीकी शिक्षण संस्थान के छात्रों को कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : - BSDM/501-25/2016-958 दिनांक - 23/11/2017

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु DRCC के पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक नहीं होगा, परन्तु उन्हें अपने संस्थान के प्रधान से संस्थान का नियमित छात्र होने का वैध प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा। साथ ही निम्नलिखित निदेश का पालन करना अनिवार्य है :-

1. सामान्य SDC एवं BSDC द्वारा सिर्फ DRCC द्वारा निबंधन के आधार पर ही नामांकन लिया जा सकता है। अन्य नामांकन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जा रहा है।
2. कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ सभी तकनीकी शिक्षण के छात्रों तक पहुँचे, इस हेतु सरकारी / गैर सरकारी ANM/GNM, Schools, ITI, Polytechnic/Para Medical Institute, Engineering College इत्यादि में प्रशिक्षणरत छात्रों को DRCC में बिना निबंधन कराये सरकारी संस्थानों यथा औ० प्र० संस्थानों / Polytechnic, Engineering College इत्यादि द्वारा संचालित कुशल युवा केन्द्र पर कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। इसके लिए छात्रों को अपने संस्थानों से अध्ययनरत होने का वैध प्रमाणपत्र (प्रपत्र-1) उपलब्ध कराना होगा जिसे GTP संतुष्ट होकर उनका नामांकन अपने केंद्र पर करेंगे।

अतएव निदेश है कि किसी भी SDC/BSDC केंद्र पर बिना DRCC में निबंधन कराये छात्रों का प्रत्यक्ष तकनीकी प्रवेश नहीं लिया जाये।

विश्वासभाजन

13/11/24

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- BSDM/KYP Admission-212/2024- 3539 पटना, दिनांक- 13/11/2024

प्रतिलिपिः- सभी नियोजन पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी/ सभी संबंधित जिला कौशल प्रबन्धक / मिशन प्रबंधक(परियोजना)/मिशन प्रबंधक(आई0टी0), PD., E&Y/PD. MKCL/KRA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ।

13/11/24

मिशन निदेशक